233

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक

न्यायालय रीवा जिला रीवा म0प्र0

Rs 40/-

R 5349-III/16

1– शिवहरि चन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री जयराम प्रसाद शर्मा

2– संतोष कुमार पिता हरिहर प्रसाद शर्मा

3– रमागोविन्द पिता राधे लाल शर्मा

4– नंद कुमार पिता जय प्रसाद शर्मा सभी निवासी ग्राम रेरूआ तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ———————— आवेदक / निगरानीकर्ता गण

विरूद्ध

1–तेज लाल शर्मा पिता दर्शन लाल शर्मा निवासी ग्राम रेरूआ तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

2– म0प्र0 शासन ———————— अनावेदक गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री ... अग्निहोत्री द्वारा पेश। 29-7-16

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मान राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक अ–12/15–16 मे पारित सीमांकन पुष्टि करण आदेश दिनांक 9–6–16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन पुष्टि करण आदेश दिनांक 9–6–16 विधि विरूद्ध व नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2–यह कि अनावेदक / गैर निगरानी कर्ता तेज लाल शर्मा जो कि निगरानी कर्ता के परिवार का है उसने ग्राम रेरूआ तहसील गुढ़ की आराजी नं0 197/2क ,197/2ग , 198/1 व 1988/2 क, 199 व 200 किता 6 भूमियो के सीमांकन वावत आवेदन श्रीमान राजस्व मण्डल दुआरी के समक्ष दिनांक – 24–2–16 को पेश किया था ।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी सूचना व जानकारी निगरानीकर्ता गणो को नही प्रदान की गयी । उनकी अनुपस्थित मे दिनांक 6–4–16 को हल्का पटवारी द्वारा ग्राम रेरूआ जाकर गैर निगरानी कर्ता की भूमियो का सीमांकन किया गया ।

(233)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5349-II / 16 जिला–.रीवा

शिवहरिचन्द्र कुमार शर्मा / तेजलाल शर्मा

(1)	(2)
19.12.18 –	1. आवेदक की ओर से श्री हेम कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल दुआरी, तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 13 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य